

# प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

## औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/151766/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/32002/JD

दिनांक: 04-04-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SOBHA LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO B-255,SECTOR 36,GREATER NOIDA** तहसील - **SADAR** प्लाट एरिया **14001.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **86847.16** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **3** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER 1	35	3	107.70 mt.
TOWER 2	46	3	141.25 mt.
CLUB	2	2	09.10 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SOBHA LTD** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SOBHA LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** अग्निशमन अधिकारी /मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भोतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार सम्बन्धित सक्षम सत्ता प्राधिकारी को यह प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त भवन के अध्यासन/ प्रयोग से पूर्व समस्त अग्निशमन व्यवस्थाएँ 30प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 तद्वधीन नियमावली-2024 NBC-2016 के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य है, यदि भवन स्थामी द्वारा बिना व्यवस्थाओं के अध्यासन किया जाता है, तो भवन के असुरक्षित अध्यासन हेतु सत्ता प्राधिकारी निगरानी रखें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गत अधिकारी)



Digitally Signed By  
(Aman Sharma)

[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]

17-04-2025

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिषेत्र।  
 पंजाब:2025/151766/जीवीएन/गौतमबुद्धनगर/32002/नोडी० दिनांक: अप्रैल 2025,  
 सेवा में,

स्थापी/प्रबन्धक,  
 M/S- SOBHA LTD.  
 PLOT NO-B-255, SECTOR-36, GREATER NOIDA,  
 DISTRICT-GAUTAMBUDDHNAGAR, U.P.


विषय:- M/S-SOBHA LTD. PLOT NO-B-255, SECTOR-36, GREATER NOIDA, DISTRICT-GAUTAMBUDDHNAGAR, उ०प्र० में प्रस्तावित मुप हाऊसिंग आवासीय भवन के टावर-1, 2 व क्लब को ऑनलाइन निर्गत प्रोटीजनल अनापति प्रमाण पत्र में कुल कवर्ड एरिया, टावर-1 में तलों की संख्या व ऊचाई सम्बन्धी संशोधन के सम्बन्ध में।  
 सन्दर्भ: यूआई०:2025/151766/जीवीएन/गौतमबुद्धनगर/32002/नोडी० दिनांक: 04-04-2025  
 महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया है कि यूआई०:2025/151766/जीवीएन/गौतमबुद्धनगर/32002/नोडी० दिनांक: 17-04-2025 के माध्यम से मुप हाऊसिंग आवासीय भवन के टावर-1, 2 व क्लब को ऑनलाइन निर्गत प्रोटीजनल अनापति प्रमाण पत्र के प्राप्ति में कुल कवर्ड एरिया, टावर-1 में तलों की संख्या व ऊचाई नुटिवश गलत अंकित हो जाने के कारण संशोधित पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त ऑनलाइन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक अभिलेखों के अनुसार संशोधित विवरण निम्नवत है:-

क्र०	ब्लॉक/टावर का विवरण				
स०	ऑन लाइन निर्गत एन०ओ०सी० के अनुसार		संशोधन के उपरान्त		
01	कुल कवर्ड एरिया-86847.16 वर्ग मीटर।			कुल कवर्ड एरिया-88143.80 वर्ग मीटर।	
02	टावर-1	तलों की संख्या-35	ऊचाई-107.70 मीटर।	टावर-1	तलों की संख्या-36
					ऊचाई-110.75 मीटर।

अतः उपरोक्त भवन को ऑनलाइन निर्गत प्रोटीजनल अनापति प्रमाण पत्र में तदनुसार संशोधन समझा जाये, तथा शेष शर्तें दिनांक: 17-04-2025 को ऑनलाइन निर्गत (प्रोटीजनल) एन०ओ०सी० के अनुसार ही अनुमन्य होंगी।

  
 (अमन शर्मा) २८/४/२०२५  
 उपनिदेशक, फायर सर्विस,  
 मेरठ/सहारनपुर परिषेत्र।



Structural Engineering Division  
Department of Civil Engineering  
Indian Institute of Technology Madras  
Chennai - 600 036, INDIA.

Dr A Meher Prasad

P K Aravindan Institute Chair Professor

Phone: +91(44) 22574260 22574252 (Fax) +91 94440 17194 (Mobile)

email : prasadam@iitm.ac.in  
prasadam@civil.iitm.ac.in

Dt: 17/02/2025

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

This is to certify that we have undertaken the project, "Proof checking of Proposed Residential Apartment "Sector 36" Greater Noida, Uttar Pradesh" and the design will be checked for compliance to the relevant Indian Standard on the basis of design and drawings provided by "Structure Consultant"

Description	No. of floors	FAR area (SQ.M)	Non FAR Area (SQ.M)		Net Built-up area (SQ.M)
			Remaining areas	Parking area (Excl. driveways)	
Tower - 1	G+35	51450.77	43825.07	117	69429.47
Tower - 2	G+47			91	
Clubhouse	2B+G+1			-	
Basement-1	1			3003	
Basement-2	1			3029	
Basement-3	1			3445	
<b>TOTAL</b>		<b>51450.77</b>	<b>43825.07</b>	<b>9685</b>	<b>104960.84</b>

All the stipulated combinations of gravity load and the relevant loads have been considered and are duly incorporated in the analysis and design. The submitted model and drawings will be reviewed and proof-checked. Any necessary corrections shall be made to ensure


Dr. A. MEHER PRASAD  
Professor  
Department of Civil Engineering  
Indian Institute of Technology Madras  
Chennai - 600 036, India



practice. The approval to be given for the structural design will be confirming to IS Codes of structural design practice including the Indian Standard Criteria for Earthquake Resistant Design as per IS: 1893 - 2016 and IS: 13920 - 2016, IS: 16700 - 2017.

The responsibility of the undersigned shall be limited to checking of structural design calculations and drawings only. All procedural/legal/operational matters and architectural/functional details will be responsibility of the owner. It is expected to use specified material grades, proper quality control, and construction practices. However, it may be noted that the assurance on quality control is not within the scope of the proof check.

Regards,



**A. MEHER PRASAD**



Dr. A. MEHER PRASAD  
Professor  
Department of Civil Engineering  
Indian Institute of Technology Madras  
Chennai - 600 036, India



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

## AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

OFFSKD/NORTH/B/112824/1381466

खंडाई/आस्ट्रेचम्बू/स्क्लास/स्टील/कॉम्पोजी/2024) 1193/4178-8)

मालिक का नाम एवं पता

Sobha Limited

दिनांक/DATE:

18-12-2024

OWNERS Name &amp; Address

5th Floor, Rider House, Plot No. 136-P, Sector  
44, Gurgaon, Haryana - 122003

वैधता/ Valid Up to:

17-12-2032

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी)  
No Objection Certificate for Height Clearance

1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमान मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के पावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2). इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	OFFSKD/NORTH/B/112824/1381466
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Arvind Kumar
स्थल का पता / Site Address*	Plot No. B-255, Sector 36, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh 201310, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	28 27 40.89N 77 32 24.07E, 28 27 39.54N 77 32 25.07E, 28 27 42.22N 77 32 26.35E, 28 27 37.78N 77 32 26.36E, 28 27 43.04N 77 32 27.81E, 28 27 43.02N 77 32 27.90E, 28 27 38.82N 77 32 28.11E, 28 27 41.76N 77 32 28.79E, 28 27 40.02N 77 32 30.09E
स्थल की ऊँचाई एमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	203.91 M
अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	453.91 M

क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566

Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpur, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

## AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

OFFSKD/NORTH/B/112824/1381466

\* जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant\*

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है: -

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विधवंस) के अधीन कार्यवाही की जायगी।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी। अर्थात्, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।

d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

च) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, के सेक्शन 9-A तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा एयरक्राफ्ट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विधवंस) के अधीन है।

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

छ) कोई भी रेडियो/टीवी एन्टीना, लाइटिंग अरेस्टर, सीढ़िया, मुमटी, पानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्नक उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए।

f. No radio/TV Antenna, lightening arresters, staircase, Mumty, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

## AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

OFFSKD/NORTH/B/112824/1381466

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुएं का खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।

g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

झ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है, तथा उक्त प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से अधिकतम बारह साल की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue & shall be extended for a maximum period of twelve years from the date of its issue.

ट) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटों का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ असमिक्षित हो। विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी।

i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

ठ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरुद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा।

j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

ड) डे मार्किंग तथा सहायक विद्युत आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट [www.dgca.nic.in](http://www.dgca.nic.in) पर उपलब्ध) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रंखला 'बी' पार्ट । सैक्षण्य-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।

k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: [www.dgca.nic.in](http://www.dgca.nic.in)

द) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस कँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/ दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

ए) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी का मूल्यांकन I.G.I Airport, Meerut, NIAJEWAR, Safdarjung Airport, Sikandrabad विमानक्षेत्रों के संबंध में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रों और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रों, जो जी. एस. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग- I), अनुसूची- IV (भाग -2; केवल RCS हवाई अड्डे) और अनुसूची- VII में सूचीबद्ध हैं, के लिए जारी किया गया है।

m. This NOC ID has been assessed with respect to the I.G.I Airport, Meerut, NIAJEWAR, Safdarjung Airport, Sikandrabad Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule – III, Schedule – IV (Part-I), Schedule- IV (Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR770(E)



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

## AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

OFFSKD/NORTH/B/112824/1381466

त) यदि स्थल रक्षा विभाग के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि जीएसआर 751 (ई) की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के लिये, जो जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची- IV (भाग -2; आरसीएस हवाई अड्डों के अलावा) के रूप में सूचीबद्ध बिना लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता हैं, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।

n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule – V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E)

थ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की किसी भी त्रुटि/व्याख्या की स्थिति में अंगरेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

द) स्थल की ऊँचाई और/या संरचना की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल में ही मान्य होगी।

p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in AMSL shall prevail.



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

OFFSKD/NORTH/B/112824/1381466

क्षेत्र का नाम / Region Name:

उत्तर/NORTH

पदनामित अधिकारी/Designated Officer

नाम/पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign with date

U. D. Barua  
18/12/2024  
उत्पल दत्ता बरुआ/UTPAL DUTTA BARUAH  
गम्भीरन्द्रक (एटीएम)/General Manager (ATM)  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India  
क्षेत्रीय मुख्यालय (ए. बैर) /Regional Headquarters(NR)  
न. या. से. परिसर, एन. या. से. कॉम्प्लेक्स, नॉट्स कॉम्प्लेक्स, IGI एयरपोर्ट  
नई दिल्ली/New Delhi-110037

द्वारा तैयार Prepared by

ahmed  
18/12/2024  
Narenbab Dev, AGM (ATM)

द्वारा जांचा गया Verified by

Yashwant  
18/12/2024  
Yashwant Shashank Jadhav(ATM)

ईमेल आईडी / EMAIL ID : noc\_nr@aaai.aero

फोन/ Ph: 011-25653551

ANNEXURE/अनुलेखन


## Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर में)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री)
I.G.I Airport	43552.12	104.75
Meerut	50881.41	193.9
NIAJEWAR	32233.05	347.26
Safdarjung Airport	35370.72	111.58
Sikandrabad	17962.64	293.44
NOCID	OFFSKD/NORTH/B/112824/1381466	



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

OFFSKD/NORTH/B/112824/1381466



## Satellite View



क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर, रांगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566  
Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

फ़ाइल नं. :- एएआई/आरएचक्यू/एनआर/एटीएम/एनओसी/2024/1193/4178-8)

1. The chief Executive officer, Delhi International Airport, New Uddan Bhawan, Terminal-3, I.G.I. Airport, New Delhi.
2. The Chief Architect Planner, 169, Chitvan Estate, Sector- Gamma-II, Greater Noida- 201 306 (U.P.).
3. Guard File.